

प्राप्ति/शोभित  
१०.५.२०२३

जारी  
१०/०५/२३

उत्तर प्रदेश शासन  
पंचायती राज अनुभाग-३  
संख्या-८१। / ३३-३-२०२३-९२६०२/ २०२३  
लखनऊ : दिनांक १० अप्रैल, २०२३

### कार्यालय-ज्ञाप

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-D.O. No. N-19011/7/2023-Governance दिनांक 10 अप्रैल, 2023, D.O. No. N-19011/20/2019-e-Panchayat दिनांक 22 मार्च एवं 31 मार्च, 2023 तथा D.O. No. N-19011/6/2022-Governance दिनांक 21 जुलाई, 2022 (छायाप्रतियां संलग्न) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है:-

- राज्य स्तर से क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं के सापेक्ष उपयोग किये जा रहे विभिन्न सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न लोकेशन यूनिक कोड को चिह्नित कर उनमें भारत सरकार द्वारा बनाये गये यूनिक कोड पर आधारित लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के लोकेशन यूनिक कोड का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, ताकि समस्त विभागों की विभिन्न योजनाओं के सॉफ्टवेयर आपस में संयोजित होकर लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के यूनिक कोड को आधार मानते हुए आंकड़ों की एक साथ गणना आवश्यकतानुसार कर सकें।
- एन०आई०सी० की सहायता से राज्य स्तर से क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं में सभी प्रशासनिक इकाई यथा-जनपद/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ब्लॉक/तहसील/ ग्राम पंचायत/ग्राम/मजरा इत्यादि को लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के लोकेशन यूनिक कोड से मैप किया जाना है।
- विभिन्न विभागीय योजनाओं हेतु प्रयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयर के परस्पर संयोजन के सम्बन्ध में विभागीय तालमेल हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-२५६४/ ३३-३-२०१७-५६/ २०१७, दिनांक २९ जनवरी, २०१८ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शासन स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति में आवश्यक संशोधन करते हुये सम्बन्धित विभागों से निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

- |  |              |
|--|--------------|
| I. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन                         | - अध्यक्ष    |
| II. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन               | - उपाध्यक्ष  |
| III. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० शासन    | - सदस्य      |
| IV. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन | - सदस्य/सचिव |
| V. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ            | - सदस्य      |
| VI. विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन     | - सदस्य      |
| VII. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन  | - सदस्य      |
| VIII. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन     | - सदस्य      |

- |  |  |
|--|--|
| IX. विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन<br>X. विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन<br>XI. विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन<br>XII. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0<br>XIII. निदेशक, नगर विकास विभाग, उ0प्र0<br>XIV. निदेशक, जनगणना कार्य, उ0प्र0<br>XV. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (SIO) उ0प्र0<br>XVI. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., बापू भवन<br>लखनऊ | – सदस्य<br>– सदस्य<br>– सदस्य<br>– सदस्य<br>– सदस्य<br>– सदस्य<br>– सदस्य<br>– सदस्य |
|--|--|
4. उक्त समिति के गठन के उपरान्त प्रदेश में राज्य स्तरीय योजनाओं पर सभी सॉफ्टवेयर में लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के लोकेशन यूनिक कोड को सम्मिलित करने का प्राविधान बनाया जाए ताकि एन.आई.सी.—पंचायत सूचना खण्ड, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से समेकित करते हुए लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) की वेब सर्विस को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
5. लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) की मैटिंग हेतु चयनित प्रशासनिक इकाई के प्रगति की समीक्षा प्रति माह की जानी है।
6. समस्त प्रशासनिक इकाईयों यथा—जनपद/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ब्लॉक/ तहसील/ग्राम पंचायत/ग्राम/मजरा आदि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को तत्काल लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) में अपडेट किया जाएगा।
7. राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग सहित अन्य विभाग एल.जी.डी. पोर्टल से संबंधित अद्यतन/आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण पंचायतीराज विभाग के ई—मेल आई.डी. PRNIC-UP@NIC.IN पर उपलब्ध करायेंगे।
8. उक्त समिति LGD से संबंधित विसंगतियों के निराकरण हेतु प्रत्येक तिमाही पर आवश्यकतानुसार बैठक का आयोजन करेगी।
9. LGD की विसंगतियों का संबंधित विभाग द्वारा ससमय निराकरण कर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में गठित ई—कमेटी को अवगत कराया जायेगा।
- संलग्नक—यथोक्त।

*Mamta*  
10.5.23  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

#### संख्या व दिनांक:— तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 शासन।
6. प्रधान मुख्य दन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ
7. विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. विशेष सचिव, नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
14. निदेशक, नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0।
15. निदेशक, जनगणना कार्य, उ0प्र0।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. बापू भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
पंचायती राज अनुभाग-3  
संख्या- ४। / ३३-३-२०२३-६१५०२/ २०२३  
लखनऊ : दिनांक १० अप्रैल, २०२३

### कार्यालय-ज्ञाप

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या—D.O. No. N-19011/7/2023-Governance दिनांक 10 अप्रैल, 2023, D.O. No. N-19011/20/2019-e-Panchayat दिनांक 22 मार्च एवं 31 मार्च, 2023 तथा D.O. No. N-19011/6/2022-Governance दिनांक 21 जुलाई, 2022 (छायाप्रतियां संलग्न) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जानी हैः—

1. राज्य स्तर से क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं के सापेक्ष उपयोग किये जा रहे विभिन्न सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न लोकेशन यूनिक कोड को चिन्हित कर उनमें भारत सरकार द्वारा बनाये गये यूनिक कोड पर आधारित लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के लोकेशन यूनिक कोड का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, ताकि समस्त विभागों की विभिन्न योजनाओं के सॉफ्टवेयर आपस में संयोजित होकर लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के यूनिक कोड को आधार मानते हुए आंकड़ों की एक साथ गणना आवश्यकतानुसार कर सकें।
2. एन०आई०सी० की सहायता से राज्य स्तर से क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं में सभी प्रशासनिक इकाई यथा—जनपद/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ब्लॉक/तहसील/ ग्राम पंचायत/ग्राम/मजरा इत्यादि को लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के लोकेशन यूनिक कोड से मैप किया जाना है।
3. विभिन्न विभागीय योजनाओं हेतु प्रयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयर के परस्पर संयोजन के सम्बन्ध में विभागीय तालमेल हेतु निर्गत शासनादेश संख्या—२५६४ / ३३-३-२०१७-५६ / २०१७, दिनांक २९ जनवरी, २०१८ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शासन स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति में आवश्यक संशोधन करते हुये सम्बन्धित विभागों से निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

- |       |  |              |
|-------|--|--------------|
| I.    | मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन                        | — अध्यक्ष    |
| II.   | कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन               | — उपाध्यक्ष  |
| III.  | आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० शासन     | — सदस्य      |
| IV.   | अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन | — सदस्य/सचिव |
| V.    | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ           | — सदस्य      |
| VI.   | विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन     | — सदस्य      |
| VII.  | विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन   | — सदस्य      |
| VIII. | विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन       | — सदस्य      |

- |  |  |
|--|--|
| IX. विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन<br>X. विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन<br>XI. विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन<br>XII. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0<br>XIII. निदेशक, नगर विकास विभाग, उ0प्र0<br>XIV. निदेशक, जनगणना कार्य, उ0प्र0<br>XV. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (SIO) उ0प्र0<br>XVI. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., बापू भवन<br>लखनऊ | — सदस्य<br>— सदस्य<br> |
|--|--|
4. उक्त समिति के गठन के उपरान्त प्रदेश में राज्य स्तरीय योजनाओं पर सभी सॉफ्टवेयर में लोकल गर्वन्मेन्ट डायरेक्टरी (LGD) के लोकेशन यूनिक कोड को समिलित करने का प्राविधान बनाया जाए ताकि एन.आई.सी.—पंचायती सूचना खण्ड, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से समेकित करते हुए लोकल गर्वन्मेन्ट डायरेक्टरी (LGD) की वेब सर्विस को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
5. लोकल गर्वन्मेन्ट डायरेक्टरी (LGD) की मैपिंग हेतु चयनित प्रशासनिक इकाई के प्रगति की समीक्षा प्रति माह की जानी है।
6. समस्त प्रशासनिक इकाईयों यथा—जनपद/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ब्लॉक/ तहसील/ग्राम पंचायत/ग्राम/मजरा आदि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को तत्काल लोकल गर्वन्मेन्ट डायरेक्टरी (LGD) में अपडेट किया जाएगा।
7. राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग सहित अन्य विभाग एल.जी.डी. पोर्टल से संबंधित अद्यतन/आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण पंचायतीराज विभाग के ई—मेल आई.डी. PRNIC-UP@NIC.IN पर उपलब्ध करायें।
8. उक्त समिति LGD से संबंधित विसंगतियों के निराकरण हेतु प्रत्येक तिमाही पर आवश्यकतानुसार बैठक का आयोजन करेगी।
9. LGD की विसंगतियों का संबंधित विभाग द्वारा ससमय निराकरण कर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में गठित ई—कमेटी को अवगत कराया जायेगा।

### संलग्नक—यथोक्त

मनोज कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

### संख्या व दिनांक:— तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 शासन।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ
7. विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. विशेष सचिव, नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
14. निदेशक, नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0।
15. निदेशक, जनगणना कार्य, उ0प्र0।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. बापू भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

  
(अशोक कुमार राम)  
अनु सचिव।